

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-

प्रकरण सं:- 65/18

दिनांक:- 14.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2017/

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नेहरो की हाणी व भूअ.नि. दोस् की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~आसूकों की हाणी~~ नेहरो की हाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	आसूकों की हाणी	05	2, 26, 26/2, 41, 41/2	भगा पुत्र दमा	मगाराम पुत्र
02.	नेहरो की हाणी	26	145	मधा पुत्र दमा	दमाराम शेष बद्रुस्तर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 14.5.18

क्रमांक:- लो.अदा./2017/

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र दमाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी